कार्यालय :– वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

पत्रांक : 355 दिनांक : 15.02.2017

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
मनोहरपुर लौह अयस्क खान,
चिरिया।

विषय :– Submission of revised De-reservation Proposal (DRP) for 14.88 ha of Forest Land in Saranda Forest Division, West Singhbhum, District of Jharkhand for the installation of closed conveyor system of Manoharpur Ore Mines, Chiria of M/s Steel Authority of India (SAIL)

प्रसंग:– आपका पत्रांक MOM/GM/16-17/57 दिनांक 01.02.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रांसगिक पत्र के द्वारा समर्पित अपयोजन प्रस्ताव का अवलोकन एवं जाँच में पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1731 दिनांक 13.03.2016 के द्वारा Conveyor belt के स्थापना हेतु मुख्य/Approach road के लिए प्रस्तावित वनभूमि की सर्वे/समीक्षा कर अवगत कराने को लिखा गया था, लेकिन आपके द्वारा इसके बारे में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

पाथरबासा एवं अंकुआ राजस्व गाँव के गैर जंगल–झाड़ी राजस्व भूमि में प्रस्तावित 6.878 हे0 भूमि का Land schedule, रैयती का अनापति प्रमाण–पत्र एवं उपायुक्त से रैयती भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के द्वारा निर्गत भूमि के विवरणी के प्रतिवेदन के अनुसार पाथरबासा राजस्व ग्राम के प्लॉट नम्बर–687 एवं 1727 में जंगल झाड़ी दर्ज दिखाया गया है, लेकिन इसके बारे में आपके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का Shape file, CD में समर्पित करना आवश्यक है।

अतः उल्लेखित बिन्दुओ पर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी

15/2/17

वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल,चाईबासा।